



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 129300

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत अर्ज़ी संख्या - **21076 वर्ष 2026**

कन्हैया और 2 अन्यआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिवादी पक्ष

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : जे. शुभम, जितेंद्र कुमार मिश्रा

प्रतिवादी पार्टी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-पथम

1. आवेदकों के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के ए.जी.ए.. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
2. यह ज़मानत अर्ज़ी मुकदमा अपराध संख्या 114/2026 में आवेदक की ओर से दायर की गई है। यह मामला थाना नवाबगंज, जिला फरुखाबाद में बीएनएस की धाराओं 191(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1) के तहत दर्ज है और इसमें आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की गुज़ारिश की गई है।
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता बेगुनाह हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता 15.05.2026 से जेल में बंद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला एफ.आई.आर.में लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा चलाने का है। उन्होंने आगे कहा कि कथित अपराध करने का कोई मकसद नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान न तो याचिकाकर्ताओं के पास से और न ही उनकी निशानदेही पर कोई दोषी ठहराने वाला सबूत मिला है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन करने वाला कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इन हालात में, यह दलील दी गई कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ता ज़मानत पर रिहा होने के हकदार हैं। ज़मानत मिलने पर, वे ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

4. विद्वान ए.जी.ए.. ने आवेदकों को ज़मानत देने के अनुरोध का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की संलिप्तता, सज़ा की गंभीरता और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरा यह मानना है कि आवेदकों ने ज़मानत के लिए आधार बना लिया है। ज़मानत की अर्ज़ी मंजूर की जाती है।

6. आवेदक - कन्हैया, नन्हे सिंह उर्फ राममूर्ति और वीर सिंह, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत संबंध और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे नीचे दी गई शर्तों का पालन करें।

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे या उसमें शामिल नहीं होंगे जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उन पर आरोप है या जिस अपराध को करने का उन पर शक है।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक एक अंडरटेकिंग (लिखित वचन) देंगे कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वे सबूत के लिए तय तारीख पर सुनवाई चलाने की मांग नहीं करेंगे। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो ट्रायल न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) आवेदकों को ट्रायल न्यायालय में तय हर तारीख पर खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वे बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहते हैं, तो ट्रायल न्यायालय उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-A (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 269 है) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) अगर आवेदक ट्रायल के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी.. की धारा 82 (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 84 है) के तहत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, तो ट्रायल न्यायालय कानून के मुताबिक उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174-A (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 209 है) के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदकों को ट्रायल न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) केस शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 351 है) के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर ट्रायल न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो ट्रायल न्यायालय इस चूक को जमानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, ट्रायल न्यायालय द्वारा जमानत रद्द की जा सकती है।

22 जून, 2026

संजीत

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"